भारत सरकार

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 890**

दिनांक 01 मार्च, 2016 को उत्तर देने के लिए

कृषि उत्पादों का अपव्यय

890. श्री चरणजीत सिंह रोड़ी:
श्री रमेश चन्द्र कौशिक:
श्री राजू शेट्टी:
श्री भर्तृहरि महिताब:
श्री शिवकुमार उदासि:
श्री अधीर रंजन चौधरी:
श्री देवजीभाई गोविंदभाई फतेपारा:
श्री संजय धोत्रे:
श्री सुमेधानन्द सरस्वती:
श्री अनुराग सिंह ठाकुर:
श्रीमती संतोष अहलावत:
श्री दुष्यंत चौटाला:
श्री दुष्यंत सिंह:
क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

**(क)** देश में कृषि-प्रसंस्करण अवसंरचना तथा शीतागारों/ शीत श्रृंखला जैसी सुविधाओं की कमी के कारण कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य के खाद्यान्न, फल, सब्जी और अन्य कृषि उत्पाद बर्बाद हो जाते हैं तथा इसके लिए क्या सुधारात्मक कार्रवाई की गई;

**(ख)** खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की मौजूदा योजनाओं के अंतर्गत शीतागार/ शीत श्रृंखला बनाने के लिए संस्वीकृत, आंवटित और जारी की गई निधियों तथा इसके अंतर्गत सृजित अवसंरचना का ब्यौरा क्या है;

**(ग)** आज की तिथि के अनुसार राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र-वार शीतागारों की संख्या तथा उनकी क्षमता कितनी है तथा कितनी क्षमता की आवश्यकता है एवं गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इनकी क्षमता में कितनी वृद्धि हुई है;

**(घ)** क्या राष्ट्रीय शीत श्रृंखला विकास केंद्र ने शीत श्रृंखला की कमी का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन कराया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और परिणाम क्या हैं तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

**(ड.)** क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान देश में सरकारी-निजी भागीदारी के माध्यम से शीत श्रृंखला अवसंरचना का विकास किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

**(च)** क्या सरकार ने देश में शीतागार और शीत श्रृंखला के विकास संबंधी योजनाओं की समीक्षा के लिए किसी कृतक बल का गठन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त कृतक बल की सिफारिश पर शीतागार प्रणाली में कितनी क्षमता वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया गया है एवं इस संबंध में सरकार द्वारा क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई?

**उत्तर**

**खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री**
**(साध्वी निरंजन ज्योति)**

(क) केंद्रीय फसलोत्तर इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (सीफेट), लुधियाना द्वारा किए गए अध्ययन में यह अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 2014 के थोक मूल्यों पर वर्ष 2012-13 के उत्पादन आंकड़ों के आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख कृषि उत्पादों की फसल एवं फसलोत्तर हानियों का वार्षिक मूल्य 92,651 करोड़ रुपए था । अध्ययन में किए गए आंकलन के अनुसार फसल-वार फसलोत्तर हानियों की प्रतिशतता **संलग्नक-I** में दर्शाई गई है ।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय केंद्रीय क्षेत्र की अनेक स्कीमें अर्थात (i) मेगा खाद्य पार्कों, एकीकृत कोल्ड चेन, वैल्यू एडिशन और परिरक्षण अवसंरचना तथा एबेटायर्स के आधुनिकीकरण के घटकों वाली खाद्य प्रसंस्करण अवसंरचना विकास स्कीम एवं (ii) गुणवत्ता आश्वासन, कोडेक्स मानक, अनुसंधान एवं विकास तथा अन्य प्रोत्साहन कार्यकलाप स्कीम चला रहा है ।

स्कीम के अंतर्गत मंत्रालय द्वारा 135 एकीकृत कोल्ड चेन परियोजनाएं स्वीकृत की गई जिनकी शीतागार/नियंत्रित वातावरण/परिवर्धित वातावरण भंडारों, डीप फ्रीजर की 4.75 लाख मी.टन. कोल्ड चेन क्षमता, 114.75 मी.टन प्रति घंटा आईक्यूएफ, 120.5 लाख ली. प्रति दिन दुग्ध भंडारण/प्रसंस्करण क्षमता और 787 रीफर वाहन हैं ।

सरकार कृषि उपजों की हानियों को कम करने के लिए कोल्ड चेन अवसंरचना के सृजन को बढ़ावा देने हेतु अनेक प्रोत्साहन भी दे रही है । ऐसे प्रोत्साहनों का ब्यौरा **संलग्नक-II** में दिया गया है ।

(ख) वर्ष 2009 से कोल्ड चेन, वैल्यू एडिशन और परिरक्षण अवसंरचना स्कीम के अंतर्गत आवंटित की गई और जारी की गई निधियों का ब्यौरा **संलग्नक-III** में दिया गया है । अब तक कोल्ड चेन, वैल्यू एडिशन और परिरक्षण अवसंरचना स्कीम के अंतर्गत 3.12 लाख मी.टन. शीतागार/नियंत्रित वातावरण/डीप फ्रीजर क्षमता, 77 मी.टन. प्रति घंटा आईक्यूएफ, 95 लाख ली. प्रति दिन दुग्ध भंडारण/प्रसंस्करण क्षमता का सृजन किया गया है और 456 रीफर वाहन जोड़े गए हैं ।

(ग) कोल्ड चेन, वैल्यू एडिशन और परिरक्षण अवसंरचना स्कीम के अंतर्गत अद्वितीय शीतागारों को वित्तीय सहायता नहीं दी जाती है । वित्तीय सहायता शीतागारों, न्यूनतम प्रसंस्करण और रीफर वाहनों इत्यादि के घटकों वाली एकीकृत कोल्ड चेन सृजित करने के लिए दी जाती है । पिछले 3 वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कोल्ड चेन परियोजनाओं की राज्य-वार संख्या और पिछले 3 वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सृजित की गई शीतागार क्षमता का ब्यौरा **संलग्नक-IV** में दिया गया है ।

(घ) कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय कोल्ड चेन विकास केंद्र (एनसीसीडी) ने "अखिल भारतीय कोल्ड चेन अवसंरचना क्षमता (स्थिति का मूल्यांकन एवं अंतर)" के बारे में अध्ययन किया है । अध्ययन के अनुसार देश में कोल्ड चेन की आवश्यकता निम्नानुसार है:

| अवसंरचना का प्रकार | अवसंरचना की आवश्यकता (क) | सृजित की गई अवसंरचना (ख) | अखिल भारत स्तर पर अंतर (क-ख) |
|---|---|---|---|
| **शीतागार*** | 35.10 मिलि.टन | 31.82 मिलि.टन | **3.28 मिलि.टन** |
| **पैकिंग गृह** | 70,080 | 249 | **69,831** |
| **रीफर वाहन** | 61,826. | 9,000 | **52,826** |
| **पक्वन चैम्बर्स** | 9,131 | 812 | **8,319** |

* संभावित 26.85 मिलि.टन प्रचालन क्षमता को ध्यान में रखते हुए अंतर 8.25 मिलि.टन हो सकता है ।

अध्ययन में शीघ्र सड़ने-गलने वाले उत्पादों जैसे दूध और दूध के अन्य उत्पाद- चीज, योगर्ट, पनीर, समुद्री उत्पाद, मछली और मांस इत्यादि को शामिल नहीं किया गया है । परंतु आइसक्रीम को फ्रोजन श्रेणी के अंतर्गत शामिल किया गया है । केवल वर्तमान में उपभोग में लाए गए तथा कोल्ड चेन में संचलित किए जा सकने वाले फलों एवं सब्जियों को शामिल किया गया है ।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने रिपोर्ट स्वीकार कर ली है और इसे संदर्भ हेतु एवं कोल्ड चेन के भावी विकास के लिए राज्य सरकारों को भेज दिया गया है ।

(ड.) सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड के अंतर्गत कोल्ड चेन अवसंरचना के विकास का कोई भी प्रस्ताव आज तक भारत सरकार की व्यावहार्यता अंतर निधियन (वीजीएफ) के तहत मंत्रालय से सहायता के लिए पर्याप्त नहीं है ।

(च) शीतागारों की उपलब्धता में तेजी लाने और कोल्ड चेन प्रबंधन की क्षमता में सुधार करने के लिए प्रधान मंत्री कार्यालय ने 2014 में सचिव, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की अध्यक्षता में रणनीतियों का पुनर्विलोकन करने, सभी शीतागारों/कोल्ड चेन संबंधी स्कीमों को वित्तीय सहायता देने तथा देश में कोल्ड चेन क्षमता बढ़ाने के लिए संस्थागत तंत्र की सिफारिश करने की दृष्टि से एक कार्यबल का गठन किया था । कार्यबल ने अन्य बातों के साथ-साथ, यह भी सिफारिश की थी कि सरकार को 6,100 करोड़ रुपए का आवंटन करके अगले 5 वर्षों में 7.5 मिलि. टन की अतिरिक्त क्षमता सृजित करने का लक्ष्य रखना चाहिए । इसमें से 5 मिलि. टन क्षमता कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण मंत्रालय की एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) स्कीम के अंतर्गत राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम) और राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड [2.5 मिलि.टन. प्रत्येक] साथ मिलकर और 2.5 मिलि.टन क्षमता खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की स्कीम के अंतर्गत सृजित की जा सकती है । सरकार ने रिपोर्ट स्वीकार कर ली है ।

*****

**संलग्नक-I**

**कृषि उत्पादों के अपव्यय के बारे दिनांक 01 मार्च, 2016 को लोक सभा में पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न सं. 890 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित विवरण ।**

सीफेट के अध्ययन में किए गए आंकलन के अनुसार फसलोत्तर हानियों का फसल-वार ब्यौरा ।

| फसलें | संचयी बर्बादी (%) |
|---|---|
| अनाज | 4.65-5.99 |
| दालें | 6.36-8.41 |
| तिलहन | 3.08-9.96 |
| फल एवं सब्जियां | 4.58-15.88 |
| दूध | 0.92 |
| मत्स्यिकी (अंतर्देशीय) | 5.23 |
| मत्स्यिकी (समुद्री) | 10.52 |
| मांस | 2.71 |
| पॉल्ट्री | 6.74 |

**संलग्नक-II**

**कृषि उत्पादों के अपव्यय के बारे दिनांक 01 मार्च, 2016 को लोक सभा में पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न सं. 890 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित विवरण ।**

**कोल्ड चेन क्षेत्र के सृजन को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए अन्य विभिन्न प्रोत्साहनों का ब्यौराः**

- वर्ष 2015-16 के बजट में फलों एवं सब्जियों की प्री-कंडीशनिंग, प्री-कूलिंग, पक्वन, वैक्सिंग, खुदरा पैकिंग तथा लेबलिंग सेवाओं को सेवा-कर से छूट दी गई है ।
- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 23.04.2015 को जारी संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार खाद्य एवं कृषि आधारित प्रसंस्करण यूनिटों तथा कोल्ड चेन के ऋण को प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (पीएसएल) के लिए कृषि कार्यकलापों के वर्ग में रखा गया है ।
- आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35-एडी के अंतर्गत (i) कोल्ड चेन सुविधा की स्थापना एवं प्रचालन; तथा (ii) कृषि उपज के भंडारण हेतु मालगोदाम सुविधा की स्थापना और प्रचालन पर किए जाने वाले निवेश पर हुए व्यय के लिए 150% तक की कटौती अनुमत्य है ।
- सरकार ने शीतागार, शीतकक्ष (खेत स्तर पर पूर्व शीतलन सुविधा सहित) या कृषि, मधुमक्खी पालन, बागवानी, डेयरी, पोल्ट्री, समुद्री एवं जलीय उत्पाद तथा मांस के परिरक्षण, भंडारण या प्रसंस्करण के लिए औद्योगिक परियोजनाओं को परियोजना आयात के लाभ दिए हैं। परिणामत: खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित सभी वस्तुएं जो परियोजना के भाग के रूप में आयात की गई हों चाहे उनका टैरिफ वर्गीकरण कुछ भी क्यों न हो, 5% के मौलिक सीमा शुल्क की रियायती दर पर समान मूल्यांकन की पात्र होंगी।
- टैरिफ शीर्षः अध्याय 84 के अंतर्गत कृषि, मधुमक्खी पालन, बागवानी, डेयरी, पोल्ट्री, समुद्री एवं जलीय उत्पाद तथा मांस के परिरक्षण, भंडारण, परिवहन या प्रसंस्करण के लिए शीतागार, शीतकक्ष अथवा रेफ्रिजरेटिड वाहन की अधिस्थापना के लिए प्रयोग की गई रेफ्रिजरेशन मशीनरी और उसके पुर्जों पर उत्पाद शुल्क नहीं लिया जाता है।
- कृषि उपज के लिए शीतागारों सहित फसलोत्तर भंडारण अवसंरचना से संबंधित निर्माण, उत्थापन, प्रचालन अथवा अधिष्ठापन से संबंधित मूल कार्यों के लिए सेवा कर नहीं लिया जाता है ।
- आधुनिक भंडारण क्षमता के सृजन में पूंजी निवेश को वित्त मंत्रालय की अंतर वित्त-पोषण व्यवहार्यता स्कीम के लिए पात्र माना गया है । कोल्ड चेन तथा फसलोत्तर भंडारण को अवसंरचना उपक्षेत्र के रूप में स्वीकार किया गया है ।

**संलग्नक-III**

**कृषि उत्पादों के अपव्यय के बारे दिनांक 01 मार्च, 2016 को लोक सभा में पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न सं. 890 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण ।**

**कोल्ड चेन, वैल्यू एडिशन एवं परिरक्षण अवसंरचना स्कीम के अंतर्गत आवंटित की गईं और जारी की गईं निधियों का ब्यौरा ।**

**(करोड़ रुपए)**

| **वर्ष** | **बजट अनुमान** | **संशोधित अनुमान** | **व्यय** |
|---|---|---|---|
| 2009-10 | 70.00* | -- | 43.50 |
| 2010-11 | 27.53 | 22.02 | 21.65 |
| 2011-12 | 110.00 | 89.99 | 83.70 |
| 2012-13 | 86.00 | 81.37 | 81.13 |
| 2013-14 | 100.00 | 103.73 | 103.72 |
| 2014-15 | 160.00 | 153.36 | 153.36 |
| 2015-16 | 181.00 | 181.00 | 158.20 (25.02.2016 तक) |

*** मेगा खाद्य पार्क, कोल्ड चेन और एबेटायर्स के आधुनिकीकरण को शामिल करके संपूर्ण अवसंरचना विकास स्कीम के लिए बजट अनुमान आवंटन ।**

**संलग्नक –IV**

**कृषि उत्पादों के अपव्यय के बारे दिनांक 01 मार्च, 2016 को लोक सभा में पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न सं. 890 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण ।**

**पूरी हो चुकी कोल्ड चेन परियोजनाओं की संख्या एवं पिछले 3 वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान सृजित की गई कोल्ड स्टोरेज क्षमता का राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा ।**

| राज्य | 2012-13 | | 2013-14 | | 2014-15 | | 2015-16 | | कुल | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | परियोजनाओं की सं. | सृजित क्षमता मी.ट. | परियोजनाओं की सं. | सृजित क्षमता मी.ट. | परियोजनाओं की सं. | सृजित क्षमता मी.ट. | परियोजनाओं की सं. | सृजित क्षमता मी.ट. | परियोजनाओं की सं. | सृजित क्षमता मी.ट. |
| आंध्र प्रदेश | 0 | 0 | 1 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10000 |
| अरुणाचल प्रदेश | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| असम | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5000 | 1 | 5000 |
| बिहार | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| चंडीगढ़ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| छत्तीसगढ़ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5030 | 1 | 5030 |
| दिल्ली | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| गोवा | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| गुजरात | 2 | 12500 | 0 | 0 | 2 | 6520 | 1 | 900 | 5 | 19920 |
| हरियाणा | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5000 | 1 | 5000 |
| हिमाचल प्रदेश | 2 | 3400 | 2 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13400 |
| जम्मू व कश्मीर | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2000 | 2 | 2000 |
| झारखंड | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| कर्नाटक | 1 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2500 | 2 | 17500 |
| केरल | 0 | 0 | 1 | 4000 | 1 | 15000 | 0 | 0 | 2 | 19000 |
| मध्य प्रदेश | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4000 | 0 | 0 | 1 | 4000 |
| महाराष्ट्र | 2 | 6030 | 2 | 15000 | 3 | 5500 | 7 | 28120 | 14 | 54650 |
| मणिपुर | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2900 | 0 | 0 | 1 | 2900 |
| मेघालय | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| मिजोरम | 0 | 0 | 1 | 250 | 1 | 280 | 0 | 0 | 2 | 530 |
| नागालैंड | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ओडिशा | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| पंजाब | 1 | 7400 | 0 | 0 | 2 | 12420 | 0 | 0 | 3 | 19820 |
| राजस्थान | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| सिक्किम | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| तमिलनाडु | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| तेलंगाना | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| त्रिपुरा | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| उत्तर प्रदेश | 2 | 12200 | 1 | 1200 | 0 | 0 | 1 | 3100 | 4 | 16500 |
| उत्तराखंड | 1 | 2890 | 0 | 0 | 1 | 6900 | 5 | 18000 | 7 | 27790 |
| पश्चिम बंगाल | 1 | 1500 | 2 | 12450 | 1 | 2853 | 1 | 5000 | 5 | 21803 |
| **कुल** | **12** | **60920** | **10** | **52900** | **13** | **56373** | **21** | **74650** | **56** | **244843** |

*******